मिहिर भोज पी०जी० कॉलेज

दादरी-ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) उ०प्र०

NAAC ACCREDITED GRADE B (CGPA-2.47)

सम्बद्धः चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्रः 2025-26

विवरणिका एवं प्रवेश नियमावली

सम्पर्क :

Website : https://www.mbc.ac.in

E-mail : mbpgcollegedadri@gmail.com

हरित परिसर-स्वच्छ परिसर- प्लास्टिक एवं कचरा मुक्त परिसर

सन्देश

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी

सदस्य, विधान परिषद

एवम् पूर्व कैबिनेट मन्त्री, उत्तर प्रदेश

मेरे लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि सत्र 2025–26 के लिए विवरणिका एवं प्रवेश नियमावली प्रकाशित होने जा रही है। यह विवरणिका छात्र / छात्राओं के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगी और उन्हें संस्था की मूलभूत कार्य प्रणाली, नियमों एवम् विशेषताओं से अवगत कराएगी। सुनहरे इतिहास को प्रतिबिम्बित करते हुए, इस महाविद्यालय ने विद्यार्थियों को सदैव समाज के प्रति समर्पण भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

कई दशकों से महाविद्यालय की निरन्तर प्रगति के गवाह के रूप में, मैं प्रवेश के इच्छुक छात्र / छात्राओं और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ कि महाविद्यालय युवा शक्ति को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास एवम् चरित्र निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करेगा। मुझे आशा है कि नव-सत्र में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी इस महाविद्यालय की गौरवमयी यात्रा में अपना भरपूर योगदान देंगे और अपने भविष्य निर्माण के लिए कठोर परिश्रम करेंगे।

अंत में मैं महाविद्यालय परिवार को नव- सत्र के आगमन पर शुभाशीष देता हूँ।

जय हिन्द !

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी

सन्देश

श्री तेजपाल सिंह नागर

विधायक, दादरी (उ०प्र०)

नव – सत्र के आगमन पर महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए विवरणिका एवम् प्रवेश नियमावली का प्रकाशन एक सराहनीय कदम है। इस प्रकाशन के माध्यम से छात्र/छात्राएं एवम् अभिभावक महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों व सुविधाओं से सहज ही अवगत हो पायेंगे। अद्भुत गौरवमयी विरासत को समेटे हुए मिहिर भोज पी.जी. कॉलेज अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छू रहा है।

महाविद्यालय के सतत् विकास में इस क्षेत्र के समाजसेवियों, शिक्षाविदों एवम् उदार दानवीरों ने अहम भूमिका निभायी है। अतः इस महाविद्यालय का पूर्व छात्र होने के नाते मैं इस महाविद्यालय के निर्माण व विकास में 'मील का पत्थर' की भूमिका निभाने वाले समाज के संरक्षकों को नमन करता हूँ और वर्तमान में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों, प्राचार्य, शिक्षकों एवम् छात्र / छात्राओं का अभिनन्दन करता हूँ एवं इस क्षेत्र के विकास में महाविद्यालय की भूमिका के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं महाविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

श्री तेजपाल सिंह नागर

सन्देश

श्री धर्मवीर प्रधान

अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी महाविद्यालय प्रवेश नियमावली व विवरणिका का प्रकाशन कर रहा है। दो वर्षो से अधिक महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के प्रभार का निर्वाह करते हुए मैंने पाया कि गौरवमयी इतिहास को संजोये हुए महाविद्यालय विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास की संकल्पना के साथ निरन्तर अग्रसर है। महाविद्यालय में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक कम्प्यूटर लैब, बेहतरीन पाठ्य-स्त्रोतों से युक्त पुस्तकालय एवम् प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवम् प्रत्यायन परिषद् के द्वारा द्वितीय चक्र की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर चुका है एवम् आगामी वर्ष में महाविद्यालय परिवार गुणवत्तापरक शिक्षा के नये आयामों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। कोविड-19 की विभीषिका के बाद मैं इस विश्वास के साथ सम्पूर्ण महाविद्यालय परिवार का आह्वान करता हूँ कि युवा शक्ति के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार परक एवं मूल्य आधारित शिक्षा के उच्चतम मापदंड अपनायें और विद्यार्थियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन एक अत्यन्त सराहनीय कदम है।

मुझे आशा है कि महाविद्यालय अपने गुणवत्तापरक एवम् समावेशी शिक्षा के ध्येय को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास के लिए समर्पण की भावना से आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर मैं प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों, प्राचार्य, शिक्षकों, सह-शैक्षणिक कर्मचारियों, पूर्व छात्र / छात्राओं एवम् वर्तमान में शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों की उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सराहना करता हूँ और संपूर्ण महाविद्यालय परिवार को नवसत्र के आगमन पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

जय हिन्द!

श्री धर्मवीर प्रधान

सन्देश

श्री वेदपाल सिंह

सचिव, प्रबन्ध समिति

यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि महाविद्यालय प्रवेशार्थियों की सुविधा के लिए विवरणिका एवम् प्रवेश नियमावली का प्रकाशन कर रहा है। इस प्रकाशन के माध्यम से आगामी सत्र में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक कार्यक्रमों, आदर्श आचार संहिता व सांस्थानिक सुविधाओं जैसी अन्य जानकारियां सुलभता से उपलब्ध होंगी।

पाँच दशकों से अधिक समय से क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रसार एवम् प्रवाह करते हुए मिहिर भोज स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने अपनी पहचान एक अग्रणीय संस्थान के रूप में स्थापित की है। इस महाविद्यालय से अध्ययन करने के पश्चात् कुछ छात्र / छात्राओं ने उच्च प्रशासकीय, शिक्षण, व्यावसायिक एवम् राजनैतिक पदों पर सुशोभित होकर महाविद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है।

हमारे पूर्व छात्र / छात्राओं की उपलब्धि का श्रेय महाविद्यालय के शिक्षकों एवम् सह-शैक्षणिक कर्मचारियों को जाता है। वर्तमान में यह महाविद्यालय गौतमबुद्धनगर जिले में स्थित एकमात्र राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है। योग्य शिक्षक बेहतरीन प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, क्रीडा स्थल, रमणीक एवं हरित वातावरण, अनुशासन एवम् कुशल प्रशासन इस महाविद्यालय की कुछ विशेष खूबियां हैं।

गत वर्ष में महाविद्यालय ने अनेकों गुणवत्तापरक पहल शुरू की है जिनमें से पुस्तकालय का सौन्दर्यीकरण, पेयजल व्यवस्था को दुरूस्त करना, खेल मैदान की देखरेख, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन, कम्प्यूटर लैब का निर्माण एवम् छात्राओं के लिए वाचनालय प्रमुख हैं।

इसके अलावा सम्प्रेषण व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट पर सभी नवीनतम जानकारियां उपलब्ध होती है।

इस अवसर पर मैं महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों, शिक्षकों सह-शैक्षणिक कर्मचारियों व छात्र / छात्राओं को शुभाशीष देता हूँ और नवसत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का सहृदय स्वागत करता हूँ।

श्री वेदपाल सिंह

From the Desk of the Principal...

We are all integral members of a global community, connected by shared values, experiences, and aspirations. Our paths are not isolated, rather, they form part of a larger collective narrative that unites us all. As expressed in verse 71 of Chapter 6 of the **Mahopanishad :**

अयं निजः परोवेतिगणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्।।

This verse imparts the profound wisdom that individuals with broad minds and open hearts, characterized by expansive thought and character, view the world as one unified family. In contrast, those with a narrower outlook divide the world into categories of "what belongs to me" and "what belongs to others." As students, it is essential to cultivate an inclusive and expansive worldview, recognizing that **education is a powerful tool that connects us to the global community.**

Higher education goes beyond the mere acquisition of knowledge; it is a transformative journey that nurtures cognitive, affective, and psychomotor domains of human behaviour. Throughout your time at the university and college, you will deepen your understanding of your chosen discipline while gaining insight into how your fieldintersects with others and contributes to solving global challenges. This presents a unique opportunity to expand your intellectual horizons, enhance your critical thinking abilities, and develop the skills necessary to make informed, ethical, and responsible decisions.

At the core of this academic journey lie two fundamental principles: critical thinking and innovation. **Critical thinking equips you with the ability to rigorously evaluate and question ideas, assess evidence, and engage with information methodically and reflectively.** It is a vital skill that fosters intellectual growth and clarity of thought. **Innovation, on the other hand, involves applying your knowledge creatively to address challenges and develop novel solutions.** Together, these competencies not onlyensure academic success but also empower you to make meaningful contributions to society.

The world is confronted with a myriad of pressing challenges, from environmental degradation to social inequalities. Tackling these challenges will require individuals such as yourselves-those endowed with intellectual insight, creativity, and a determination to create positive change. **As the next generation of leaders, innovators, and problem-solvers, you are uniquely positioned to shape the future. I encourage you to constantly challenge the boundaries of your knowledge, remain open to new ideas and perspectives, and seize the opportunities that lie ahead.**

The Kathopanishad (कठोपनिषद्) offers a timeless and compelling call to action: **"**उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।**"**- **"Arise, awake and stop not till the goal is reached."**This verse is an exhortation to awaken from the slumber of ignorance and complacency, and to pursue the highest goal - self-realization and enlightenment. It emphasizes that one should not cease striving until the ultimate truth or knowledge is attained. This teaching encourages perseverance, determination, and unwavering focus on the path toward personal and intellectual growth.

As you embark on your studies, **I urge you to approach your academic journey with dedication, enthusiasm, and perseverance. Success is not a product of mere chance, but the outcome of consistent effort, intellectual curiosity, and a steadfast commitment to your academic and personal goals.**

Remember, **education is not merely about textbooks or examinations-**it is about applying the knowledge you acquire to make a lasting and positive impact on the world. I encourage you to approach your studies with diligence, passion, and a commitment to excellence, as you strive to contribute to a better tomorrow.

I am committed to continuously elevating this esteemed institution and advancing its vision and mission. By fostering a spirit of teamwork and collaborating with all stakeholders, we can achieve great things.

I extend my sincerest best wishes to each of you as you embark on this significant academic journey. May your journey be one of continuous growth, discovery, and outstanding achievement.

Remember, awareness is your greatest asset - embrace it with confidence, for when you do, the possibilities are limitless.

Prof. Kishor Kumar
Principal
Mihir Bhoj P. G. College, Dadri, Greater Noida, G. B. Nagar

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति

श्री धर्मवीर प्रधान
(अध्यक्ष)

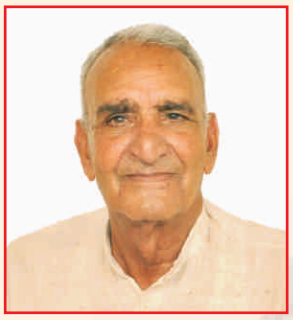

श्री रणवीर सिंह
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष)

श्री ब्रह्मपाल सिंह नागर
(कनिष्ठ उपाध्यक्ष)

श्री वेदपाल सिंह
(सचिव)

श्री सुनील कुमार भाटी
(सह–सचिव)

श्री राजकुमार भाटी
(सदस्य)

श्री विजय पाल नागर
(सदस्य)

श्री वीर सिंह नागर
(सदस्य)

श्री सुदेश भाटी
(सदस्य)

डॉ. रूपेश वर्मा
(सदस्य)

श्री इन्द्र प्रधान
(सदस्य)

श्री तेजपाल सिंह नागर
विधायक (पदेन सदस्य)

प्रो0 किशोर कुमार
(प्राचार्य)

महाविद्यालय–परिचय

उच्च शिक्षा के प्रसार के पावन उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए ग्रामीण अंचल के यशस्वी, प्रतिष्ठित, उदार, जागरूक एवं दानवीर शिक्षा प्रेमियों के सतत् प्रयास से मिहिर भोज स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1968 में हुई।

महाविद्यालय की विकास यात्रा की शुरूआत वर्ष 1944 में अयोध्या गंज दादरी में स्थापित एक छोटी पाठशाला से हुई। क्षेत्र की शिक्षा की आवश्यकताओं को मूर्तरूप देने हेतु गुर्जर विद्या सभा, दादरी ने अथक प्रयासों से सैनिक पड़ाव की 52.24 एकड़ भूमि को उत्तर प्रदेश शासन से विद्यालय स्थापना हेतु प्राप्त किया। वर्ष 1949 में पं० गोविन्द बल्लभ पंत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, संयुक्त प्रदेश के करकमलों से गुर्जर ए० एस० हाईस्कूल की स्थापना हुई। वर्ष 1953 में इस विद्यालय को माध्यमिक महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया एवं 1968 में मिहिर भोज महाविद्यालय की स्थापना हुई जिसकी आधारशिला डॉ० त्रिगुणा सेन, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, भारत सरकार ने रखी।

वर्ष 1968 में महाविद्यालय को विज्ञान संकाय में गणित, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी विज्ञान विषयों में स्नातक स्तर तक मान्यता प्राप्त हुई। वर्ष 1970 में महाविद्यालय को स्नातक (जीव विज्ञान) की मान्यता प्राप्त हुई। क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए कला संकाय की स्थापना अंग्रेजी, इतिहास, हिन्दी, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषयों के साथ 1979 में हुई। तदोपरान्त वर्ष 1985 में भूगोल विषय को मान्यता प्राप्त हुई। क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा के प्रसार हेतु स्नातकोत्तर (गणित) एवं स्नातकोत्तर (हिन्दी) कार्यक्रमों को 1995 में अनुमति प्राप्त हुई। इसी क्रम में स्नातकोत्तर (रसायन विज्ञान) को 2001 एवं स्नातक (वाणिज्य) और स्नातकोत्तर (भूगोल) को 2014 में मान्यता प्राप्त हुई। सत्र 2024–25 से महाविद्यालय में **M.Com** एवं **BCA** जैसे प्रतिष्ठित कोर्स कराने की मान्यता प्राप्त हुई । वर्तमान सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 2600 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत् हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विद्याध्ययन की समुचित सुविधा से सम्पन्न महाविद्यालय कर्मठ एवं कुशल प्रबन्ध समिति और उत्कृष्ट शिक्षकों के निर्देशन में ज्ञान सुरभि बाँट रहा है।

महाविद्यालय एक विस्तृत, शान्त एवं हरियाली से परिपूर्ण परिसर में स्थित है। संस्था का मुख्य भवन लगभग 6 एकड़ भूखण्ड में स्थापित है, जिसमें व्याख्यान कक्ष, अध्ययन कक्ष, सुसज्जित प्रयोगशलाएं, वनस्पति उद्यान, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, क्रीडास्थल एवं वाचनालय स्थित है।

महाविद्यालय परिवार गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जिसके लिए शैक्षिक और सह–शैक्षिक कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और भविष्य की योजनाएं Perspective Plan के रूप में महाविद्यालय की वेबसाइट पर सभी हितधारकों के विचारार्थ प्रदर्शित की जाती है।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक स्तर

कला संकाय (बी०ए०)

मुख्य विषय–

1–हिन्दी, 2– अंग्रेजी, 3– अर्थशास्त्र, 4– इतिहास, 5– भूगोल,
6– राजनीति शास्त्र, 7– शारीरिक शिक्षा

प्रथम सेमेस्टर में उपर्युक्त में से कोई मुख्य दो विषय एवं एक माइनर विषय अपने संकाय अथवा अन्य संकाय से चुनना हैं ।

विज्ञान संकाय(बी०एस०सी०)

मुख्य विषय

1. गणित, 2. भौतिक विज्ञान 3. रसायन विज्ञान
4. जन्तु विज्ञान, 5. वनस्पति विज्ञान 6. रसायन विज्ञान

प्रथम सेमेस्टर में उपर्युक्त में से कोई दो मुख्य विषय एवं एक माइनर विषय अपने संकाय अथवा अन्य संकाय से चुनना हैं ।

वाणिज्य संकाय–बी०कॉम० (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

1– व्यवसायिक सम्प्रेषण, 2– व्यवसायिक संगठन, 3– व्यवसायिक सांख्यिकी

प्रथम सेमेस्टर में उपर्युक्त में से कोई मुख्य दो विषय एवं एक माइनर विषय अपने संकाय अथवा अन्य संकाय से चुनना हैं ।

कम्प्यूटर साइंस संकाय – बी.सी.ए. (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

विश्वविद्यालय के नियमानुसार विषय चुनें।

स्नातकोत्तर स्तर (स्ववित्त)

1– एम.ए. – हिन्दी
2– एम.ए. – भूगोल
3– एम.एस सी. – रसायन
4– एम.एस सी. – गणित
5– एम.कॉम – वाणिज्य

Semester	Skill Development Courses for B.A., B.Sc., B.Com
Ist Semester	Principles and Practice of Banking (V0001003)
	Basic Communicative English (V0001004)
	Social Work (V0001016)
	Communication Skills and Personality Development (V0001027)
IInd Semester	Introduction to Mutual Fund- 1 (V0001068)
	Introduction to Share Market- 1 (V0001070)
	Tourism and Cultural Heritage (V0001037)
	Media Technique, Journalism and Mass Communication (V0001038)
IIIrd Semester	Introduction to Share Market - 2 (V0001071)
	Introduction to E-Return (V0001072)
	Yoga (V0001090)
	Prayojan Mulak Hindi (V0001091)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा / डी0आर0 / 96
दिनांक : 15.05.2025

विज्ञप्ति

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या परीक्षा / डी0आर0 / 9339 दिनांक 28.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा NEP-2020 के अन्तर्गत संचालित बी0ए0, बी0एस0सी एवं बी0काम0 पाठ्यक्रमों मे सत्र 2025–2026 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार परिवर्तित प्रारूप में लागू किये जाने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये है। (प्रतिलिपि संलग्न)

इसके अतिरिक्त विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 25.03.2025 के मद संख्या–4 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है।

माइनर विषयः–

1. छात्र अपने अथवा अन्य संकाय के उपलब्ध विषयों से माइनर विषय का चयन कर सकेंगे।
2. माईनर विषय का अध्ययन छात्रों द्वारा केवल विषम सेमेस्टर अर्थात प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के साथ किया जायेगा।
3. चूंकि उपर्युक्त व्यवस्था में माइनर विषय को छः (06) क्रेडिट आवंटित किये गये है इसलिए छात्र माइनर विषय के रूप में अपने दो मेजर विषयों को छोडकर महाविद्यालय में संचालित अन्य किसी मेजर विषय का अध्ययन माइनर विषय के रूप में कर सकेगे। अर्थात अलग से माइनर विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उसका पठन–पाठन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण स्वरूपः– एक ऐसा छात्र जो गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों का चयन मेजर विषय के रूप में करता है वह अन्य छात्रों हेतु उसी सेमेस्टर में चलाये जा रहे रसायन विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का अध्ययन माइनर विषय मे रूप में कर पायेगा।
4. चूंकि इस प्रकार चयनित किया गया माइनर विषय किसी अन्य छात्र का मेजर विषय होगा इसलिए माइनर एवं मेजर विषय का प्रश्नपत्र एक ही होगा। यदि किसी विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित है तो वह भी माइनर विषय के रूप में अध्ययन करने वाले छात्र को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. छात्र को दोनो वर्षो में एक ही विषय का माइनर पेपर लेना अनिवार्य होगा। अर्थात माइनर विषय परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

स्किल डेवलपमेंट कोर्सः– वर्तमान में उपलब्ध स्किल डेवलपमेंट कोर्स मे से प्रथम से लेकर तृतीय सेमेस्टर तक छात्र सम्बन्धित सेमेस्टर में उपलब्ध विषय का अध्ययन कर पायेगे। (सूची संलग्न)

इसके अतिरिक्त विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 25.03.2025 की मद संख्या–3 में यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित विषय समूहो में से एक समूह से केवल एक ही विषय चयनित किया जा सकेगा। एक विषय समूह मे अंकित समस्त विषयों की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होगी।

1- Sankrit/ Philosophy/ Psychology
2- History / Music
3- Drg. & Painting/ Geography

4- Political Science/ Music

5- Music/ Economics/ Education

6- Home Science/ Physical Education

7- Defence Studies/ Urdu/ Library Science

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में सत्र 2025–2026 के प्रवेश तथा पठन–पाठन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

15/05/25

For परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वयैक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को, प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. प्रवेश समन्वयक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. उप कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय)।
06. प्रभारी–कमैटी सेल/अति गोपनीय विभाग।
07. प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र/विश्वविद्यालय वेबसाईट।
08. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त महत्त्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों के **सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुए**, छात्रहित में, निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. विश्वविद्यालय पूछताछ–केन्द्र/सूचना पट।

15/05

उप कुलसचिव (परीक्षा)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/डी0आर0/9334
दिनांक : 25.01.2025
28

विज्ञप्ति

विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 26.11.2024 के मद संख्या–06 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–2090/सत्तर–3–2024–09(01)/2023 (L4), दिनांक 02.09.2024 के माध्यम से निर्गत निर्देशों को सत्र 2025-26 से NEP-2020 के अनुसार संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ इस आशय के साथ संलग्न हैं कि इनका भली–भाँति अध्ययन कर, निर्देशों को सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले स्नातक/परास्नातक छात्रों पर लागू करना सुनिश्चित करें।

ध्यान रहे, सत्र 2024-25 एवं उससे पूर्व प्रविष्ट NEP-2020 छात्रों पर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में पूर्ववत् नियम ही लागू होंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्राचार्य/प्राचार्या/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर पर भी व्यापक रूप से समस्त सम्बन्धित छात्र/छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
02. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. वयैक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को मा0 प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
04. प्रवेश समन्वयक/छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. वयैक्तिक सहायक, कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. उप कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय)।
07. प्रभारी–कमैटी सेल/अति गोपनीय विभाग।
08. प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र/विश्वविद्यालय वेबसाईट।
09. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त महत्त्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुए, छात्रहित में, निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
12. विश्वविद्यालय पूछताछ–केन्द्र/सूचना पट।

उप कुलसचिव (परीक्षा)

संलग्नक

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना
(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षो में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

2. क्षेत्र (Scope)-

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका–1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका–2 में दी गई है।

2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा–चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा–एम0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि के एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं–

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पॉच वर्ष की

स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा–कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू0जी0सी0 के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या–1276/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 16–06–2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

I. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यकम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी, .बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित

विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.7 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

4.8 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.11 एन0सी0सी0 को शासनादेश संख्या–1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएं।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY 4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

6.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो

कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे । पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेंन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार

प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से समय–समय पर जारी किए जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री–क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidlines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय–सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यॉकन करना है। एन0ई0पी0–2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को–करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यॉकन पूर्व की भॉति शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनॉक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी।

12.4 शासनादेश संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliamen), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (

Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यॉकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC

Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	(Minimum Credits) For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty			Pract-1(4)						
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
(216) PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	(Minimum Credits) For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	1 (3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
					or				
(80+50=130) 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में निम्न ऐच्छिक इकाईयाँ कार्यरत हैं:

1. **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0)** – महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (थलसेना–इंफेट्री कोर) की एक प्लाटून संचालित हैं, जिसमें 54 छात्र/छात्राओं के लिए सैनिक प्रशिक्षण की सुविधा है। नियमित प्रशिक्षण परेड के अतिरिक्त एक 10 – दिवसीय शिविर का आयोजन 40 यू0पी0 बटालियन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विशेष शिविर आयोजित किये जाते हैं।
2. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)** –देश की प्रगति में छात्र/छात्राओं के योगदान की महती भूमिका रही है। अतः महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा मान्य एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सेवा योजना की दो इकाई कार्यरत हैं, जिनमें प्रति इकाई 100 स्वयं सेवक छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त सात–दिवसीय वार्षिक शिविर का भी आयोजन किया जाता है।
3. **क्रीड़ा** –महाविद्यालय के विशाल क्रीड़ा स्थल में ऐथेलेटिक्स के लिए ट्रैक सहित क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, फुटबाल, कबड्डी, खो–खो आदि खेलों के लिए समुचित व्यवस्था है।
4. **सांस्कृतिक परिषद्**–छात्र/छात्राओं को वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबंध, गायन, नाटक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में प्रतिभाग के लिये मंच प्रदान करती है।
5. **महाविद्यालय पत्रिका 'ज्ञानज्योति'** – छात्रों की साहित्यिक प्रतिभा को उभारने के लिए महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्वजनों की विभिन्न विषयों पर कृतियों एवं महाविद्यालय की सभी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
6. **अनुशासन परिषद्** – महाविद्यालय में अनुशासन व रैगिंग–मुक्त वातावरण बनाये रखने के लिए प्राध्यापकों की एक अनुशासन परिषद् सदैव सक्रिय रहती है। विद्यार्थियों में स्वशासन की क्षमता और उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना का विकास करने हेतु उनका भी प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग लिया जाता है।
7. **महिला प्रकोष्ठ** – छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु एवम् लिंग–समानता संबंधी जागरूकता फैलाने के लिये महिला प्रकोष्ठ सक्रिय रूप से कार्यरत है।
8. Student Clubs - (i) Eco club (ii) Literary Club (iii) Fine Arts Club (iv) Yoga Club (v) Innovation and Entrepreneurship Club (vi) Animation Club (vii) Reading Club (vii) Media Club के माध्यम से विद्यार्थी केन्द्रित गतिविधियों का संचालन किया जाता है।
9. Mentor -Mentee System इस व्यवस्था के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को छोटे – छोटे समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह पर एक Mentor (शिक्षक) आवंटित किया जाता है। जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों में उन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है।

परिचय-पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के मुख्य–अनुशासक द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित परिचय पत्र प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी को परिचय पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिए। महाविद्यालय परिसर में अधिकारियों द्वारा मांग करने पर परिचय पत्र देना अनिवार्य है। परिचय पत्र गुम होने की स्थिति में विद्यार्थी नये पहचान पत्र के लिये निर्धारित शुल्क के साथ प्रवेश प्रभारी के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

नई पहल

सत्र 2021–2022 से महाविद्यालय में शैक्षणिक व सह–शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा प्रशासकीय एवम् ढाँचागत सुधार के लिये निम्नलिखित प्रयोग एवम् नवाचार किये गयें :

1. Institutional Development plan with defined targets.
2. Code of Conduct for students, teachers and staff.
3. Botanical Garden
4. Students Clubs
5. Mentor-Mentee System
6. Spacious Reading halls for female and male students.
7. Upgradation of Computer Lab.
8. Registration of Alumni Association.
9. Performance Appraisal System for Faculty.
10. Subscription of N-LIST, DELNET and DEL-PLUS LMS Software for upgradation of library
11. Introduction of vocational / skill-based courses.
12. Implementation of NEP-2020 based curriculum.

छात्र–वृत्तियाँ, शुल्क–मुक्ति एवं छात्र सहायता कोष

1. उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार 75% योग्य एव निर्धन छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है।
2. प्रदेश/केन्द्र शासन द्वारा उन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ एवं पुस्तक सहायता देय हैं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/–रू0से अधिक न हो।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
4. भारत सरकार के द्वारा मेधावी छात्रों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
5. उ0प्र0 शासन द्वारा छात्र कल्याण निधि से प्रदत्त सहायता।
6. छात्र सहायता कोष से निर्धन छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता।
7. इसके अलावा महाविद्यालय स्तर पर सत्र 2022–2023 से चौ0 रघुवर सिंह छात्रवृत्ति शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस छात्रवृत्ति का लाभ गरीब एवम् उत्कष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को मिलता है। अधिक जानकारी के लिये महाविद्यालय की Website पर छात्रवृत्ति के नियम व शर्तें देखी जा सकती हैं।

उपस्थिति

सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए व्याख्यान एवं प्रयोगात्मक कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। इसके लिए छात्रों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक मशीन की व्यवस्था की जा रही है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में पूर्ण व्यवस्थित केन्द्रीय पुस्तकालय है। हमारे पुस्तकालय में लगभग 35,800 पाठ्य पुस्तकें व 1500 संदर्भ पुस्तकें मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में लगभग 250 दान की हुई पुस्तकें भी अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय में DELNET की सदस्यता भी है जिसके द्वारा ई–सहभागिता E-CONSORTIUM, E-JOURNALS व ILL अंतर पुस्तकालय ऋण भारत व विदेशों से किताबें पाठ्न हेतु मँगवाने का प्रावधान भी है।

इसके अलावा NLIST- UGC - INFLIBNET की सदस्यता है जिससे पाठक E-JOURNALS और E-BOOKS को आसानी से पढ़ सकते हैं। N-LIST पाठकों को 6000 से अधिक E-JOURNALS व लगभग 2 लाख E-BOOKS का ACCESS प्रदान करता है।

पुस्तकालय में यूजीसी–केयर (UGC-CARE) सूचीबद्ध शोध पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में डेलप्लस सॉफ्टवेयर (Delpus Ver 2.0 Software) भी आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध है।

महाविद्यालय के पुस्तकालय परिसर में छात्र व छात्राओं के लिए अलग–अलग वाचनालय की सुविधा है।

पेयजल सुविधा

छात्र–छात्राओं के लिये महाविद्यालय परिसर में स्वच्छ एवं शीतल पेयजल उपलब्ध है।

WI-FI व कम्प्यूटर लैब

महाविद्यालय में वातानुकूलित (एयर कन्डीशन्ड) कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गयी है। इसमें अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा बी0कॉम, बी0एससी0, बी0ए0 एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। साथ ही सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर वाई–फाई सुविधा से युक्त है।

महाविद्यालय की प्रवेश नियमावली

1. कॉलेज में स्नातक तथा परास्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी। उन्हीं छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र जमा होंगे जिन्होंने चौ0 चरणसिंह विश्वविद्यालय, मरेठ की वेबसाइट (www.ccsuonline.in) पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करा लिया है तथा रजिस्ट्रेशन का ई – कूपन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया है। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र इस विवरणिका के अन्त में संलग्न है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमों के आधार पर प्रदान किया जायेगा।
3. स्नातक उपाधि हेतु प्रवेश नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
4. स्नातकोत्तर कक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने सम्बन्धित विषय में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त की हो।
5. प्रवेश हेतु वरीयता का निर्धारण स्नातक कक्षाओं के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।
6. जिन छात्रों के शैक्षिक कार्यकाल में अन्तराल हैं, उनको शपथ– पत्र देना होगा।
7. नवीन प्रवेशार्थी अपने आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न कर कॉलेज में प्रवेश करायेंगे।

(i) विश्वविद्यालय में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराने का प्रमाण/ई–कूपन/चालान की प्रति।
(ii) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन द्वारा डाउनलोड किया गया आवेदन–पत्र।
(iii) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (T.C.) की मूलप्रति।
(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आदि के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।
(v) अंतिम संस्था द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
(vi) हाईस्कूल एवं उसके उपरान्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिकाओं व प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियाँ।
(vii) यदि प्रवेशार्थी राष्ट्रीय/राज्य/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर का खिलाडी है उसके प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
(viii) मूल निवास प्रमाण पत्र ।
(ix) आय प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों के लिए)।
(x) एन्टी रैगिंग सम्बन्धी शपथ पत्र ।
(xi) दो पोस्ट कार्ड जिन पर विद्यार्थी का पूर्ण पता लिखा हो।

8. प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपियाँ प्रवेश–समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी।
9. निम्नलिखित श्रेणी के छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि त्रुटिवश उनका प्रवेश हो भी गया हो तो उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित हैः ।

(i) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित छात्र अथवा जिसके विरूद्ध फौजदारी का मुकद्मा दर्ज हो।
(ii) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षा में नकल करने/कराने के दोषी छात्र।
(vi) अमर्यादित तथा अनुशासनहीन व्यवहार करने वाले छात्र।
(v) ऐसे छात्र जिन्हें महाविद्यालय अधिकारियों द्वारा 100 रु0 या उससे अधिक का अर्थदण्ड दिया गया हो।
(vi) ऐसे छात्र जो इस अथवा अन्य महाविद्यालय द्वारा निष्कासित या निलम्बित हों ।
(vii) किसी दूसरे संस्थान में प्रवेश होने/ जारी रहने की स्थिति में। * विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार।
(viii) प्रवेश के समय छात्र/अभिभावक द्वारा दी गयी सूचना अपूर्ण अथवा असत्य हो।

10. सभी छात्र/छात्रा प्रवेश प्रार्थना–पत्र के साथ अपना अभिमुखी छायाचित्र अवश्य लगायें।
11. यह महाविद्यालय विश्वविद्यालीय परीक्षा का केन्द्र है तदापि विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वे किसी भी परीक्षार्थी को बिना बताये इस केन्द्र से किसी अन्य केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दें।
12. प्रवेश के अन्य नियम विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली के प्रावधानों से आच्छादित होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम लागू होगें।
14. इस सत्र से महाविद्यालय Online आवदेन पत्र की सुविधा भी प्रदान कर रहा है जिसे अभ्यर्थी Prospectus के ऊपर छपे QR code के माध्यम से भर सकते हैं।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता
(Code of Conduct for Students)

- सभी विद्यार्थी अपना महाविद्यालय का परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखेंगे और किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर उसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- सभी विद्यार्थियों के लिए सत्र के आरम्भ में आयोजित होने वाले दीक्षारम्भ कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य है।
- सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा/प्रयोगशाला में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होंगे एवं कक्षा के दौरान अन्यत्र नहीं घूमेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के मुख्य द्वार, कक्षा, प्रयोगशाला, कार्यालय एवं पुस्तकालय में व्यर्थ में एकत्रित नहीं होंगे और न ही शोर करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपने रिक्त समय में पुस्तकालय/वाचनालय का समुचित प्रयोग करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपना वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करेंगे। कॉलेज में किसी अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है। वाहन की सुरक्षा के लिए छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध है।
- सभी विद्यार्थी सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे एवं किसी भी स्थान पर वार्तालाप में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तथा न ही आवेश में आकर हिंसात्मक व्यवहार करेंगे।
- सभी विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट्ट/वेबसाइट/फेसबुक पेज देखेंगे एवं तदनुसार आचरण करेंगे।
- सभी विद्यार्थी किसी भी अवस्था में महाविद्यालय की व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का संचालन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेंगे।
- कोई भी विद्यार्थी धर्म/भाषा /प्रान्त / राजनीतिक विचारधारा / जाति / लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा तथा मानवता एवं मानव प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेगा / करेगी।
- कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय में श्यामपट्ट / दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और न ही पोस्टर चिपकायेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में कोई हैण्डबिल/पेम्पलेट वितरित या चस्पा नहीं करेगा।
- कोई भी विद्यार्थी अन्य संस्थाओं के छात्रों, अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को महाविद्यालय में नहीं लायेगा। ऐसा करने पर वह दण्ड का भागी होगा।
- सभी विद्यार्थी स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व अन्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
- कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएगा।
- महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग दस्ता सक्रिय है। प्रवेश से पूर्व छात्र/छात्रा तथा अभिभावक को एण्टी रैगिंग सम्बन्धित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न'' (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013) की सभी धाराओं का पालन करना अनिवार्य है।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखेंगे और अनुशासनहीनता की स्थिति में अनुशासन समिति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय को 'प्लास्टिक–मुक्त' रखने में अपना योगदान देंगे और पॉलीथीन/प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देंगे और कूड़े का निस्तारण उचित रूप से करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपनी अभिरूचि के अनुसार सांस्कृतिक, खेलकूद और पाठ्य सहगामी गतिविधियों में बढ़–चढ़ कर प्रतिभाग करेंगे।

- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अध्यापकों, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, सहपाठियों व आगन्तुकों से उत्कृष्ट व्यवहार करेंगे।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पाठ्य सामग्री एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों की जानकारी के लिए निरन्तर महाविद्यालय की वेबसाइट एवं अपने शिक्षकों के सम्पर्क में रहें।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि महाविद्यालय के गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना सम्पूर्ण सहयोग देंगे। सभी विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी गतिविधियों एवं अभिरूचि कौशल विद्या के आधार पर अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास करेंगे।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर में शालीन वस्त्रों में उपस्थित हों।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे कक्षा समय के उपरान्त बेवजह महाविद्यालय परिसर में नहीं रुकेंगे।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे देशप्रेम और भाईचारे की भावना को आत्मसात करेंगे और ऐसी गतिविधियों में समय–समय पर प्रतिभाग करेंगे।
- महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का सभी विद्यार्थियों के लिए पालन करना अनिवार्य सभी विद्यार्थी सत्र के प्रारम्भ में आवंटित होने वाले मेन्टर की सूची के दृष्टिगत अपनी समस्याओं के निदान के लिए अपने निर्धारित मेन्टर (शिक्षक) के लगातार सम्पर्क में रहें।
- सभी विद्यार्थी जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक रहेंगे और पानी का दुरूपयोग नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगायेंगे एवं उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि महाविद्यालय के द्वारा छात्र हित छात्रवृत्ति सम्बन्धित योजनाओं के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन करना सुनिश्चित करें।
- सभी विद्यार्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वे समुदाय केन्द्रित गतिविधियों में प्रतिभाग करें।
- महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी स्मार्टफोन, टेबलेट, डेस्कटॉप आदि का प्रयोग करते हुए उचित आदर्श आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित करें। आपत्तिजनक व्यवहार की स्थिति में विद्यार्थी के खिलाफ साइबर अपराध की उचित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- सभी विद्यार्थी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (IPR) से संबंधित सभी धाराओं का पालन करेंगे और पुस्तकालय में उपलब्ध पठन सामग्री का उचित प्रयोग करेगें।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के प्रतिबिम्ब हैं, अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर, परिवार एवं सार्वजनिक स्थलों पर आदर्श आचरण का परिचय दें।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले 'छात्र फीडबैक फार्म' को निर्धारित समय पर भरकर जमा करना सुनिश्चित करें।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अकादमिक गतिविधियों के साथ–साथ रोजगार परक प्रशिक्षण में भी प्रतिभाग करें।
- उपर्युक्त आचार संहिता का पूर्ण/आंशिक उल्लंघन करने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही को चरित्र पंजिका में उल्लिखित किया जाएगा जिसके लिए विद्यार्थी स्वंय उत्तरदायी होगा।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए आचार संहिता
(Code of Conduct for Non-Teaching Staff)

1. सह–शैक्षणिक कर्मचारी और उनके दायित्व– एक कर्मचारी का दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाये रखे।

2. एक सह–शैक्षणिक कर्मचारी को –

- ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि महाविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक, परिजन आदि उनसे आशा करते हैं।
- उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों।
- विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।
- उन्हें अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए।
- महाविद्यालय के नियमों व कार्यालय आदेशों का पालन करना चाहिए और महाविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परम्पराओं का आदर करना चाहिए।
- महाविद्यालय और सह–शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि– प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, शुल्क जमा करना, परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना, प्रशासनिक कार्यों को पूरी क्षमता से निष्पादित करना, विद्यार्थी हित में कार्य करना एवं अतिरिक्त दिये गये कार्यों का समय से पूरा करना आदि।
- सामुदायिक सेवा सहित सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।
- छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।
- छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के व्यवहार और क्षमताओं में अन्तर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- महाविद्यालय के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता करनी चाहिए।
- विद्यार्थियों, सहपाठियों, शिक्षकों अथवा प्रशासन के विरूद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।
- पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे।
- अन्य कर्मचारियों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए।
- उच्च प्राधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाने से बचना चाहिए।
- अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।
- लागू नियमों के अनुसार अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।
- ऐसे अन्य रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो।
- विभिन्न कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना।

- पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु सहयोग करना चाहिए।
- नियुक्ति पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन करेंगे।
- अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और जहाँ तक संभव हो सके छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।
- शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य को निष्पादित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज को दुदृढ करने के लिए कार्य करें।
- सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो।
- नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग उत्तरदायित्वों में सहायता करें।
- ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।
- पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी व सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें।
- कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में महाविद्यालय प्रबंधन का सहयोग करें।
- महाविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें।
- ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे।
- अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।
- आचरण और व्यवहार में ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है।
- विद्यार्थियों के हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।
- विद्यार्थी किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित नहीं करेंगे।
- समय–समय पर अपने व्यवसायिक कौशल व ज्ञान को बढ़ायेंगे,
- महाविद्यालय को ज्ञान का मन्दिर समझकर विद्यार्थियों व शिक्षकों का भरपूर सहयोग करेंगे।
- हर प्रकार की जिम्मेदारी का कुशलता से निर्वाह करेंगे।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र– 2025 – 2026

महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

निम्न link के माध्यम से देखे जा सकते है।

www.ccsu.ac.in

or

cdn.ccsuniversity.ac.in/public/pdf/2025-26

शिक्षक - शिक्षणेत्तर कर्मचारी

प्राचार्य : प्रो० किशोर कुमार, NET, Ph.D (History), P.G.D.M

कला संकाय :

हिन्दी विभाग :

1. डॉ. प्रभात यादव, M.A., NET-JRF, M.Phil, Ph.D, सहायक आचार्य
2. रिक्त

अंग्रेजी विभाग :

1. डॉ० के०पी० सिंह, M.A., NET, Ph.D, PGDSLM, PGDVGCC सहायक आचार्य
2. श्री शैलेन्द्र कुमार, M.A., NET, सहायक आचार्य

अर्थशास्त्र विभाग :

1. डॉ० रूपम सोती, M.A., M.ED., NET, Ph.D, आचार्य
2. श्री आशीष कुमार सिंह, M.A., NET, सहायक आचार्य

इतिहास विभाग :

1. श्री सूर्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ, M.A., NET, सहायक आचार्य
2. श्री प्रदीप चौधरी, M.A., NET, सहायक आचार्य

भूगोल विभाग :

1. सुश्री प्रगति सिंह, M.A., NET, सहायक आचार्य
2. रिक्त

शारीरिक शिक्षा विभाग :

1. डॉ० प्रियंका यादव, M.P.E., Ph.D, J.R.F., D.Y.Ed, आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग :

1. श्री समय सिंह मीणा, M.A., M.Phil, UGC-NET/JRF, सहायक आचार्य
2. रिक्त

विज्ञान संकाय :

रसायन विज्ञान विभाग :

1. डॉ० हर्षवर्धन, M.Sc., Ph.D, सह आचार्य
2. श्री मनोज पटेल M.Sc., CSIR- NET-JRF, सहायक आचार्य
3. रिक्त

भौतिक विज्ञान विभाग :

1. डॉ० सेवक कुमार, M.Sc., Ph.D, सहायक आचार्य
2. सुश्री कृति जैन, M.Sc., NET, सहायक आचार्य

गणित विभाग :

1. डॉ० सपना नागर, M.A., M.Sc., Ph.D, सहायक आचार्य
2. रिक्त

जन्तु विज्ञान विभाग :

1. डॉ० शीला गुप्ता, M.Sc., Ph.D, आचार्य
2. रिक्त

वनस्पति विज्ञान विभाग :

1. डॉ० ऋचा उपाध्याय, M.Sc., Ph.D, सहायक आचार्य
2. रिक्त

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमो में कार्यरत शिक्षक

हिन्दी विभाग (स्नातकोत्तर)

1. डॉ० रईस हसन, M.A., Ph.D, सहायक आचार्य
2. डॉ० कविता रानी, M.A., NET, Ph.D, सहायक आचार्य

वाणिज्य विभाग : (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)

1. डॉ0 अजय गर्ग, M.Com, NET, Ph.D, सहायक आचार्य
2. डॉ0 कृष्ण मुरारी, M.Com, M.Phil, Ph.D, सहायक आचार्य
3. डॉ0 पूजा रानी, M.Com, NET, Ph.D, LLB सहायक आचार्य
4. डॉ0 मीनाक्षी सहारण, M.Com, B.Ed, Ph.D, सहायक आचार्य

रसायन विज्ञान विभाग : (स्नातकोत्तर)

1. डॉ0 रजनीश कुमार, M.Sc., Ph.D, सहायक आचार्य
2. डॉ0 निर्मला शिशौदिया, M.Sc.,Ph.D, सहायक आचार्य

भूगोल विभाग : (स्नातकोत्तर)

1. श्री सतीश भाटी, M.A.- भूगोल (गोल्डमेडलिस्ट) , B.Ed, UGC-NET, सहायक आचार्य
2. श्री कपिल कसाना, M.A., B.Ed, NET, सहायक आचार्य

गणित विभाग : (स्नातकोत्तर)

1. श्री कपिल बैंसला, M.Sc., M.A., LL.B, CSIR-JRF, UGC NET (SOCIOLOGY, POPULATION STUDIES, POL. SCIENCE, HINDI , सहायक आचार्य
2. खुशबु गौतम, M.Sc., GATE, PART TIME TEACHER

कम्प्यूटर विज्ञान विभाग : (स्नातक स्तर)

1. श्री विजय कुमार, M.Sc. (Math), MCA, UGC NET,
2. श्री नीरज बिष्ट MCA, M.Phil

पुस्तकालय :

1. रिक्त

सह-शैक्षणिक कर्मचारी

1. श्री कपिल नागर, लेखाकार
2. श्री नरेश कुमार, वरिष्ठ सहायक कार्यालय
3. सुश्री रीतू कार्यालय सहायक
4. श्री योगेन्द्र सिंह, प्रयोगशाला सहायक–रसायन विज्ञान
5. श्री सुशील कुमार बंसल, प्रयोगशाला सहायक–वनस्पति विज्ञान
7. श्री सतबीर सिंह, पुस्तकालय
8. श्री इन्द्रजीत सिंह, कार्यालय
9. श्री राजू, प्राचार्य कक्ष

सह-शैक्षणिक कर्मचारी (स्ववित्तपोषित)

1. श्री लोकेश बंसल, का0सहायक
2. श्री एच0सी0 तिवारी, का0सहायक
3. श्री दिनेश कुमार, का0सहायक
4. श्री राजकुमार
5. श्री उमेश
6. श्री कर्मबीर सिंह
7. श्री धनपाल सिंह
8. श्री गोपाल शर्मा
9. श्री ब्रह्मपाल सिंह
10. श्री नीलाम्बर
11. श्री ललित, प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान

प्राचार्य / सचिव

मिहिर भोज पी०जी० कॉलेज
दादरी–ग्रेटर नौएडा
गौतमबुद्धनगर–203207 उ०प्र०
(सम्बद्ध: चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
(उ०प्र० सरकार सहायता प्राप्त महाविद्यालय)

PRINCIPAL/SECRETARY

MIHIR BHOJ P.G. COLLEGE
DADRI-GREATER NOIDA,
Gautam Budh Nagar-203207 (U.P.)
(Affi. to- CCS University, Meerut)
(U.P. Govt. Aided College)

NAAC Grade: "B" CGPA-2.47

Tel-Fax.: 0120- 2663651, Mob.: 9313006465, 9149309626

E-mail: mbpgcollegedadri@gmail.com
contact@mbc.ac.in

College Code: 020

Website: http://www.mbc.ac.in

पत्रांक / Ref. No.:MBPGC/ /2025-26

दिनांक / Date: 26-07-2025

सत्र : 2025–26

महाविद्यालय के विकास एवं सुचारू संचालन हेतु गठित समितियाँ तथा कार्य

महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025–26 के लिए महाविद्यालय एवं छात्र कार्यों से सम्बन्धित समितियों की सूची निम्नप्रकार से है–

क्रम सं0	समिति का नाम	पदाधिकारी	कार्य जिन्हें करने / कराने के लिए अधिकृत हैं
1.	महाविद्यालय विकास, लक्ष्य निर्धारण एवं बजट समिति	महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा नामित सदस्य : 1– श्री वेदपाल सिंह, सचिव, प्रबन्ध समिति 2– डॉ० रूपेश वर्मा, सदस्य प्रबन्ध समिति 3– श्री विजयपाल सिंह, सदस्य प्रबन्ध समिति 4– अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 5– संयोजक–प्रो० रूपम सोती 6– सह–संयोजक–प्रो० प्रियंका यादव 7– सदस्य – सुश्री प्रगति सिंह 8– लेखाकार–श्री कपिल नागर, लेखाकार	महाविद्यालय के विकास हेतु कार्य योजना, मास्टर प्लान तैयार करना एव विभिन्न कार्यों हेतु वार्षिक बजट तैयार करना।
2.	केन्द्रीय क्रय एवम् ढांचागत विकास निगरानी समिति	महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा नामित सदस्य : 1– श्री धर्मवीर सिंह, अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति 2– श्री ब्रहमपाल सिंह, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति 3– श्री सुनील कुमार भाटी, सहसचिव, प्रबन्ध समिति 4– श्री राजकुमार भाटी, सदस्य प्रबन्ध समिति 5– अध्यक्ष– प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 5– समन्वयक– प्रो० रूपम सोती 6– संयोजक– श्री शैलेन्द्र कुमार 7– सदस्य– डॉ० रजनीश कुमार 8– सदस्य–सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष 9– सदस्य– श्री कपिल नागर (लेखाकार)	निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवम् उपकरणों आदि की क्रय प्रक्रिया सम्पन्न कराना एवम् सभी ढांचागत विकास कार्यों की निगरानी। नोट–निगरानी समिति समय–समय पर सक्षम अधिकारी को अपनी आख्या प्रेषित करेगी।

3.	विद्युत एवं आई.सी.टी. प्रबन्धन समिति	महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा नामित सदस्य : 1–श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति 2–डॉ. रूपेश वर्मा, सदस्य, प्रबन्ध समिति 3–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 4–समन्वयक–डॉ० हर्षवर्धन 5–संयोजक–श्री शैलेन्द्र कुमार 6–सदस्य–डॉ० रजनीश कुमार 7–लेखाकार–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	विद्युत, जनरेटर, आई.सी.टी (सी.सी.टी.वी. कैमरे, प्रोजेक्टर एवं वाई–फाई आदि), स्मार्ट क्लासरूम, प्रायोगिक उपकरणों आदि का प्रबन्धन, क्रय एवम् निगरानी।
4.	आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)	1–संरक्षक–श्री वेदपाल सिंह, सचिव, प्रबन्ध समिति 2–अध्यक्ष– प्रो० किशोर कुमार, प्राचार्य (पदेन) 3–संयोजक–प्रो० प्रियंका यादव 4–सह–संयोजक–प्रो० रूपम सोती 5–सदस्य–डॉ० के.पी. सिंह 6–सदस्य– सुश्री प्रगति सिंह 7–सदस्य–श्री सूर्यप्रकाश 8–सदस्य–श्री शैलेन्द्र कुमार 9–सदस्य–श्री समय सिंह मीना 10–सदस्य–श्री मनोज पटेल 11–सदस्य–कु० कृति जैन 12–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार) 13–सदस्य–स्थानीय समाज प्रतिनिधि 14–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्र प्रतिनिधि 15–सदस्य–डॉ० रूपेश वर्मा, भूतपूर्वछात्र/हितधारक प्रतिनिधि 16–सदस्य–महाविद्यालय द्वारा नामित उद्योग सम्बन्धी प्रतिनिधि 17–सदस्य–महाविद्यालय द्वारा नामित नियोक्ता सम्बन्धी प्रतिनिधि	(i)अकादमिक सम्परीक्षण, IQAC सम्बन्धी कार्य, अध्ययन/अध्यापन में नवाचार एवम् नये प्रयोग। (ii)AQAR, IIQA, एवम् SSR तैयार करना एवम् प्रेषित करना। (iii) मूल्यांकन एवम् प्रत्यायन सम्बन्धी सभी तैयारियों का संयोजन।
5. .	समय–सारिणी समिति	1– संयोजक –प्रो० रूपम सोती 2– सह–संयोजक– डॉ0 हर्षवर्धन (विज्ञान वर्ग) 3– सह–संयोजक– प्रो० प्रियंका यादव (कला वर्ग) 4– सह–संयोजक–डॉ० रजनीश कुमार (स्ववित्तपोषित कार्यक्रम)	निर्धारित कार्यभार के अनुरूप उपसमितियों के माध्यम से सामान्य एवं विभागीय समय सारिणी तैयार करना एवम् क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
6.	पुस्तकालय समिति	महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा नामित सदस्य : 1–श्री ब्रहमपाल सिंह नागर, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति 2–श्री सुदेश चन्द, सदस्य, प्रबन्ध समिति 3–श्री वीर सिंह नागर, सदस्य, प्रबन्ध समिति 4–अध्यक्ष –प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 5–संयोजक– डॉ० के०पी० सिंह 6–सह–संयोजक– डॉ० ऋचा उपाध्याय 7–सह–संयोजक– श्री आशीष कुमार 8–सह–संयोजक– डॉ० प्रभात यादव 9–सह–संयोजक –श्री मनोज पटेल 10–सदस्य–सभी विभाग प्रभारी 11–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्र/छात्रा प्रतिनिधि 12–पदेन सदस्य–पुस्तकालय प्रभारी श्री सतवीर सिंह 13–सदस्य– कपिल नागर (लेखाकार)	पुस्तकालय का सुव्यवस्थीकरण, सुसंचालन, आधुनिकीकरण, पुस्तकों एवं अन्य सामान के क्रय, पुस्तकों के राइटऑफ आदि की व्यवस्था।

7.	क्रीड़ा समिति	महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा नामित सदस्य : 1–श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति 2–श्री राजकुमार भाटी, सदस्य, प्रबन्ध समिति 3–श्री इन्द्र प्रधान, सदस्य, प्रबन्ध समिति 4–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 5–संयोजक–प्रो० प्रियंका यादव 6–सह–संयोजक–श्री समय सिंह मीना 7–सदस्य–श्री प्रदीप चौधरी 8–सदस्य–डॉ० निर्मला सिसोदिया 9–सदस्य– श्री रोहित 10–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्र प्रतिनिधि	खेलों के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करना, खेलकूद सम्बन्धी प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित करना, खेल सम्बन्धी सामान का क्रय और क्रीडास्थल की सम्पूर्ण देखरेख।
8.	सांस्कृतिक समिति	1–अध्यक्ष –प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–कु० प्रगति सिंह 3–सह–संयोजक–श्री सूर्यप्रकाश 4–सदस्य–श्री आशीष कुमार 5– सदस्य– डॉ० श्रीमती पूजा रानी 6–सदस्य– डॉ० श्रीमती मीनाक्षी सहारन 7–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्र/छात्रा प्रतिनिधि 8–सदस्य– कपिल नागर (लेखाकार)	(i) विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी एवम् आयोजन। (ii) विद्यार्थियों की अभिरूचि के अनुसार विभिन्न सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों का संचालन।
9.	प्रकाशन एवं सम्पादन समिति	अध्यक्ष –प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 1–मुख्य सम्पादक–सुश्री प्रगति सिंह 2–सह सम्पादक–डॉ० प्रभात यादव 3–सह सम्पादक–डॉ० रहीस हसन (स्ववित्तपोषित) 4–सदस्य–श्री प्रदीप चौधरी 5–सदस्य–डॉ० कविता रानी (स्ववित्तपोषित) 4–सदस्य–श्री कपिल कसाना (स्ववित्तपोषित) 5–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्र प्रतिनिधि (पत्रिका हेतु) 6–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्रा प्रतिनिधि (पत्रिका हेतु) **नोट–मुख्य प्रभारी संपादन मंडल व सदस्यों को जिम्मेदारी आवंटित करेंगे।**	वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक पत्रिका, विवरणिका, विभिन्न कार्यों हेतु रजिस्टर, स्टेशनरी आदि की छपाई, संपादन एवम् क्रय।
10.	अनुशासन एन्टीरैगिंग एवं आचार संहिता निरीक्षण समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार, प्राचार्य 2–मुख्य अनुशासक–डॉ० हर्षवर्धन 3–अनुशासक– डॉ० प्रियंका यादव 4–सदस्य– डॉ० के.पी. सिंह 5–सदस्य– डॉ० सेवक नागर 6–सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश 7–सदस्य– डॉ० रजनीश कुमार 8–सदस्य– श्री सतीश भाटी 9–सदस्य– श्री मनोज पटेल 10–सदस्य– डॉ० कविता रानी 11–सदस्य– डॉ० अजय गर्ग 12–सदस्य– सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक 13–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्र/छात्रा प्रतिनिधि	महाविद्यालय में अनुशासन एवं एन्टीरैगिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना।

11.	छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रवृत्ति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–प्रभारी–डॉ० हर्षवर्धन 3–सदस्य–श्री मनोज पटेल 4–सदस्य –श्री कपिल नागर (लेखाकार)	निर्धन छात्रों को शुल्कमुक्ति, महाविद्यालय स्तरीय छात्र प्रकरणों व छात्रवृत्ति, निर्धन छात्र सहायता एवम् सम्बन्धित कार्य।
12.	जनसूचना अधिकारी एवम् जन–सुनवाई पोर्टल	1–प्रभारी -डॉ० हर्षवर्धन 2–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	जनसूचना, जन–सुनवाई पोर्टल से सम्बन्धित समस्त कार्य।
13.	परीक्षा समिति	1–संरक्षक–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–प्रभारी–प्रो० शीला गुप्ता 3–सह प्रभारी–डॉ० सेवक कुमार 4–सह प्रभारी–डॉ० के.पी. सिंह 5–सह प्रभारी–डॉ० रजनीश कुमार 6–सह प्रभारी –श्री समय सिंह मीना 7–सहायक–श्री योगेन्द्र सिंह 8–सहायक–श्री ब्रह्मपाल 9–सहायक–श्री ब्रिजेश भाटी 10–सहायक–श्री हेम चन्द्र तिवारी 11–सहायक–श्री लोकेश बंसल	परीक्षा सम्बन्धी कार्य।
14.	प्रवेश समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–प्रो० प्रियंका यादव 3–सह संयोजक– डॉ० के०पी० सिंह (कला वर्ग) 4–सह संयोजक– डॉ० सेवक कुमार (बी.एस.सी. गणित) 5–सह संयोजक–श्री मनोज पटेल (बी.एस.सी. जीवविज्ञान) 6–सह संयोजक–डॉ० रजनीश (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) 7–सदस्य –प्रो० शीला गुप्ता 8–सदस्य– डॉ० ऋचा उपाध्याय 9–सदस्य–डॉ० सपना नागर 10–सदस्य–कु० प्रगति सिंह 11–सदस्य–श्री सूर्यप्रकाश 12–सदस्य–श्री शैलेन्द्र कुमार 13–सदस्य–श्री आशीष कुमार 14–सदस्य–श्री प्रभात यादव 15–सदस्य–सुश्री कृति जैन 16–सदस्य–श्री प्रदीप चौधरी 17–सदस्य–स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के सभी शिक्षक 18–संयोजक–श्री समय सिंह मीना (ई.आर.पी. कोआर्डिनेटर) 19–सदस्य–श्री ब्रजेश भाटी (ई.आर.पी.सहायक) **नोट–समिति के संरक्षक व समन्वयक आवश्यकतानुसार शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों में जिम्मेवारी आवंटित कर सकते हैं।**	उप समितियों के माध्यम से प्रवेश सम्बन्धी कार्य सम्पन्न कराना।

15.	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–नोडल आफिसर–डॉ० के०पी० सिंह **बी.ए./एम.ए.–** संयोजक (सामान्य वर्ग)–सुश्री प्रगति सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री प्रभात यादव, श्री कपिल कसाना संयोजक (ओ.बी.सी.)–श्री सूर्यप्रकाश, श्री समय सिंह मीना, श्री सतीश भाटी एवं डॉ० कविता रानी संयोजक (अनु.जाति/जनजाति)–श्री आशीष कुमार, श्री प्रदीप चौधरी, डॉ० कविता रानी संयोजक (अल्पसंख्यक वर्ग)–डॉ० रहीस हसन **सम्बन्धित विभाग लिपिक– श्री दिनेश नागर** **बी.एस–सी./एम.एस.सी.–** संयोजक डॉ० हर्षवर्धन संयोजक (सामान्य वर्ग)– डॉ० रजनीश, श्री मनोज पटेल संयोजक (ओ.बी.सी.)– डॉ० सपना नागर, डॉ० निर्मला, संयोजक (अनु. जाति/जनजाति)– डॉ० ऋचा उपाध्याय, श्री कपिल बैसला संयोजक (अल्पसंख्यक वर्ग)–डॉ० रहीस हसन **सम्बन्धित विभाग लिपिक– सुश्री रितु** **बी.कॉम.–** 1– श्री अजय गर्ग 2– डॉ० कृष्णमुरारी **एम.कॉम.–** 1– डॉ० पूजा रानी 2– डॉ० मीनाक्षी सहारन **बी.सी.ए.–** 1– श्री विजय कुमार 2– श्री नीरज बिष्ट **सम्बन्धित विभाग लिपिक– श्री लोकेश बंसल** कम्प्यूटर पर अपलोड करने का कार्य– श्री नरेश कुमार **नोट–समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार जिम्मेवारी आवंटित कर सकते हैं।**	छात्रों द्वारा ऑनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्रों की जाँच एवं उनको सत्यापित करना।
16.	महाविद्यालय हरित परिसर एवं निरीक्षण समिति	1–संयोजक–डॉ० ऋचा उपाध्याय (ईको क्लब) 2–सह–संयोजक–डॉ० कंवरपाल सिंह (एन.सी.सी.) 3–सह–संयोजक–डॉ० सेवक नागर 4–सह–संयोजक–डॉ० सपना नागर (एन.एस.एस.–02) 5–सह–संयोजक–श्री शैलेन्द्र कुमार (एन.एस.एस.–01)	महाविद्यालय परिसर में प्रदूषणमुक्त एवं प्राकृतिक हरियाली से परिपूर्ण परिसर को विकसित करना एवम् इससे सम्बन्धित गतिविधियों की निरन्तर निगरानी।
17.	जल, विद्युत एवं फर्नीचर निगरानी एवम् अनुरक्षण समिति	1–संयोजक– जल संबंधी–श्री सूर्यप्रकाश 2–संयोजक–फर्नीचर संबंधी–डॉ०रजनीश कुमार 3–संयोजक–विद्युत संबंधी–श्री प्रदीप चौधरी 4–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	महाविद्यालय में आन्तरिक कार्यों का अनुरक्षण करना एवं उनकी नियमित देखभाल करना।
18.	समान अवसर एवं छात्र शिकायत निवारण समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–श्री आशीष कुमार (सामान्य वर्ग प्रतिनिधि) 3–सह–संयोजक–श्री समय सिंह मीना (अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि) 4–सदस्य– श्री मनोज पटेल (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि) 5–सदस्य– सुश्री कृति जैन (महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग) 6–सदस्य–श्री नरेश कुमार (अनुसूचित जाति प्रतिनिधि) 7–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित दो छात्र प्रतिनिधि	महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का निवारण करना।

19.	कम्प्यूटर लैब, वेबसाइट सम्बन्धी समिति एवं सोशल मीडिया प्रबन्धन समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–श्री विजय कुमार 3–संयोजक–श्री सूर्यप्रकाश (फेसबुक पेज, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल आदि) 4–संयोजक–श्री शैलेन्द्र कुमार (यू–ट्यूब चैनल) 5–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार) 6–सदस्य– श्री ब्रिजेश भाटी	कम्प्यूटर प्रयोगशाला, महाविद्यालय वेबसाइट, नेटवर्किंग, यू–ट्यूब व फेसबुक आदि का सुचारू रूप से संचालन, मरम्मत व रख–रखाव।
20.	करियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेन्ट कमेटी	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–श्री सूर्यप्रकाश 3–सदस्य–श्री मनोज पटेल 4–सदस्य–डॉ० निर्मला सिसोदिया 5–सदस्य–श्री अजय गर्ग 6–सदस्य–श्री विजय कुमार	महाविद्यालय के छात्रों के प्लेसमेंन्ट के लिए यथासंभव उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
21.	नये कोर्स एवं वैल्यूएडेड कोर्स कमेटी	1–संयोजक–डॉ० ऋचा उपाध्याय 2–सदस्य– डॉ० प्रभात यादव 3–सदस्य–श्री आशीष कुमार	महाविद्यालय में नये कोर्स एवं वैल्यू एडेड कोर्स सम्बन्धी कार्य।
22.	महिला प्रकोष्ठ एवं एन्टीलैंगिक उत्पीड़न समिति	1–प्रभारी–प्रो० शीला गुप्ता 2–सह प्रभारी–प्रो० प्रियंका यादव 3–सदस्य–डॉ० सपना नागर 4–सदस्य–डॉ० कविता रानी 5–सदस्य–डॉ० पूजा रानी 6–सदस्य–डॉ० मीनाक्षी सहारन 7–सदस्य–प्राचार्य द्वारा नामित छात्रा प्रतिनिधि	(i)महाविद्यालय में कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को लैंगिक समानता के लिए जागरूक करना व इस सम्बन्ध में शिकायतों का निवारण करना। (ii)महाविद्यालय में स्थित महिला वाचनालय की सभी सुविधाओं की निरन्तर देखरेख।
23.	भूतपूर्व छात्र समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–डॉ० सेवक कुमार 3–सलाहकार–प्रो० रूपम सोती 4–सह संयोजक–डॉ० रजनीश कुमार 5–सदस्य–श्री विजय कुमार 6–सदस्य–श्री ब्रिजेश भाटी	महाविद्यालय की पुरातन छात्र समिति सम्बन्धी समस्त कार्य एवम पुरातन छात्र/छात्राओं की बैठकों का संचालन।
24.	सोशल आउटरीच प्रोग्राम समिति	1–संयोजक –डॉ० सपना नागर (एन.एस.एस.–II) 2–सदस्य–डॉ० के.पी. सिंह (एन.सी.सी.) 3–सदस्य–श्री शैलेन्द्र कुमार (एन.एस.एस.–I)	विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में महाविद्यालय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
25.	उन्नत भारत अभियान	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–श्री प्रभात यादव 3–सह संयोजक–डॉ० के.पी. सिंह 4–सदस्य–डॉ० सपना नागर (एन.एस.एस.–II) 5–सदस्य–श्री शैलेन्द्र कुमार (एन.एस.एस.–I) 6–सदस्य–डॉ. रजनीश कुमार 7–सदस्य–श्री कपिल कसाना 8–सदस्य–श्री सतीश भाटी 9–सदस्य–श्री नीरज बिष्ट	उन्नत भारत अभियान सम्बन्धित समस्त कार्य।
26.	मादक पदार्थ मुक्त परिसर समिति	1–संयोजक–डॉ० ऋचा उपाध्याय (ईको क्लब) 2–सदस्य –श्री सुशील बंसल, वनस्पति विज्ञान विभाग 3–छात्र प्रतिनिधि –प्राचार्य द्वारा नामित छात्र/छात्रा प्रतिनिधि	महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के प्रयोग एवं सेवन का निषेध सुनिश्चित करना।

27.	आन्तरिक शिकायत समिति (ICC)	1–पीठासीन अधिकारी–डॉ० शीला गुप्ता 2–सदस्य–सुश्री प्रगति सिंह 3–सदस्य–सुश्री कृति जैन 4–सदस्य–सुश्री रितु (गैर शिक्षक कर्मचारी) 5–सदस्य– श्री कपिल नागर (गैर शिक्षक कर्मचारी) 6–सदस्य– एड० संजीव वर्मा (विशेष आमन्त्रित)	
28.	मैन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–श्री सूर्यप्रकाश 3–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	समिति के सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराना।
29.	छात्र क्लब समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–डॉ० सपना नागर 3–सदस्य–सम्बन्धित क्लब के शिक्षक प्रभारी 4–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	समिति के सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराना।
30.	प्रयोगात्मक परीक्षा पारिश्रमिक समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–प्रो० प्रियंका यादव (बी.ए./बी.कॉम.) 3–संयोजक–श्री मनोज पटेल (बी.एस.सी.) 4–संयोजक–डॉ० रजनीश कुमार (स्ववित्तपोषित) 5–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	समिति के सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराना।
31.	प्राथमिक उपचार समिति	1–प्रभारी–डॉ० सपना नागर 2–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	समिति के सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराना।
32.	अकादमिक एवं प्रशासनिक ऑडिट समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–श्री समय सिंह मीना (अकादमिक ऑडिट समिति) 3–सदस्य–सुश्री कृति जैन 4–संयोजक–श्री सूर्यप्रकाश (प्रशासनिक ऑडिट समिति) 5–सदस्य–श्री कपिल नागर (लेखाकार)	समिति के सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराना।
33.	व्यावसायिक कोर्स समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक–प्रो० प्रियंका यादव 3–सह संयोजक–प्रो० रूपम सोती 4–सह संयोजक–श्री सूर्यप्रकाश	समिति के सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराना।
34.	शिक्षक प्रशिक्षण समिति	1–अध्यक्ष–प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–सदस्य–आई.क्यू.ए.सी. के सभी सदस्य	समिति के सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराना।
35.	आई.आई.सी. (Instiution's Innovation Council)	1–संरक्षक– प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–अध्यक्ष–प्रो० प्रियंका यादव 3–उपाध्यक्ष–प्रो० रूपम सोती 4–समन्वयक–श्री समय सिह मीना 5–R & D Cell–डॉ० ऋचा उपाध्याय (कोआर्डिनेटर) 6– NIRF–सुश्री प्रगति सिंह (कोआर्डिनेटर) 7– Social Media–श्री सूर्यप्रकाश (कोआर्डिनेटर) 8– I.P.R. Activity–श्री मनोज पटेल (कोआर्डिनेटर) 9– Innovation Activity–सुश्री कृति जैन (कोआर्डिनेटर) 10– Start up Activity–डॉ० रजनीश कुमार (कोआर्डिनेटर) 11–Internship Activity–डॉ० मीनाक्षी सहारन 12–सदस्य (आई.आई.सी.)–डॉ० हर्षवर्धन 13–सदस्य (आई.आई.सी.)–श्री शैलेन्द्र कुमार 14–सदस्य (आई.आई.सी.)–श्री अजय कुमार गर्ग 15–सदस्य (आई.आई.सी.)–श्री कपिल बैसला 16–सदस्य (आई.आई.सी.)–श्री विजय कुमार	AICTE के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करना।

36.	स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना समिति	1–संरक्षक– प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–संयोजक– श्री शैलेन्द्र कुमार 3– सह संयोजक (बी.ए.)– श्री आशीष कुमार सिंह 4– सह संयोजक (बी.एस.सी.)– सुश्री कृति जैन 5– सह संयोजक (बी.कॉम.)– श्री अजय गर्ग 6– सह संयोजक (बी.सी.ए.)– श्री विजय कुमार 7– सह संयोजक (एम.ए.)– डॉ० रहीस हसन 8– सह संयोजक (एम.एस.सी.)– डॉ० रजनीश कुमार 9– सह संयोजक (एम.कॉम.)– डॉ० मीनाक्षी सहारन 10– तकनीकी सहायक – श्री कपिल नागर (लेखाकार) 11– तकनीकी सहायक – श्री नरेश कुमार 12– तकनीकी सहायक – श्री ब्रिजेश भाटी 13– तकनीकी सहायक – श्री लोकेश बंसल	उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों के विवरण को शासन को उपलब्ध कराना और सरकार द्वारा प्राप्त मोबाइल, टेबलेट आदि का वितरण कराना।
37.	महाविद्यालय प्रतियोगी परीक्षा समिति	1–अध्यक्ष– प्रो० किशोर कुमार (प्राचार्य) 2–सलाहकार–प्रो० प्रियंका यादव 3–संयोजक– श्री शैलेन्द्र कुमार (अंग्रेजी विशेषज्ञ) 4–विषय विशेषज्ञ (भूगोल)– सुश्री प्रगति सिंह, श्री सतीश भाटी 5–विषय विशेषज्ञ (अर्थशास्त्र)– श्री आशीष कुमार सिंह 6–विषय विशेषज्ञ (तर्कशास्त्र एवं भौतिक विज्ञान)– सुश्री कृति जैन 7–विषय विशेषज्ञ (रसायन विज्ञान)– श्री मनोज पटेल 8–विषय विशेषज्ञ (इतिहास)– श्री प्रदीप चौधरी 9–विषय विशेषज्ञ (गणित व तर्कशास्त्र)– सुश्री खुशबू कुमारी 10–विषय विशेषज्ञ (बैंकिंग जागरूकता)– डॉ० अजय गर्ग 11– विषय विशेषज्ञ (कम्प्यूटर जागरूकता)– श्री नीरज बिष्ट, श्री विजय कुमार 12–तकनीकी विशेषज्ञ– श्री ब्रिजेश भाटी	महाविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित समुचित जानकारी उपलब्ध कराना एवं उनकी तैयारी में यथासम्भव मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना।

नोट :– ***(i) विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य स्तर पर आवश्यकतानुसार समितियों में परिवर्तन किया जा सकता है।***

(ii) उपरोक्त समितियों के अलावा समय–समय पर आवश्यकतानुसार गठित Cells/Clubs/समितियां यथावत् कार्य करेंगी।

(प्रो० किशोर कुमार)
प्राचार्य

विशेष सूचनायें एवं निर्देश

1. छात्र/छात्राएं प्रवेश समिति से विचार विमर्श के उपरांत ही अपने विषय चयनित कर अपना Online / Offline आवेदन-पत्र जमा करें जिससे भविष्य मे कोई कठिनाई ना हो।
2. चयनित प्रवेशार्थी प्रवेश स्वीकृति के पश्चात शुल्क विवरणिका व महाविद्यालय की Website पर उपलब्ध Payment Gateway या महाविद्यालय के निधारित खाते में जमा करें।
3. प्रारम्भ में सभी प्रवेश अस्थायी होते है एवम् तथ्यों को छुपाने, अयोग्य पाये जाने या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. परिचय पत्र व पुस्तकालय पहचान पत्र पाने के लिये शुल्क रसीद आवश्यक है।
5. परिचय-पत्र पर अग्र भाग में बिना धूप का चश्मा लगा छायाचित्र लगाकर एवं प्रविष्ठियाँ पूर्ण कर मुख्य अनुशासक से हस्ताक्षरित करा लें। परिचय पत्र सदैव अपने पास रखें।
6. चरित्र प्रमाण पत्र केवल उसी संस्थागत छात्र/छात्रा को जारी किया जायेगा जिसने महाविद्यालय में न्यूनतम छः माह की अवधि पूर्ण कर ली हो। छः माह में केवल एक बार चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने के तीन दिन बाद दिया जायेगा।
7. प्रवेश सम्बन्धी तिथियों की सूचना एवं चयन सूची, एन0 सी0 सी0, वाद/विवाद,क्रीड़ा, पुस्तकालय, विभागीय, छात्रवृत्ति एवं अन्य सूचनाएं समय-समय पर महाविद्यालय की website व सूचना पट्ट पर लगा दी जाएंगी। विद्यार्थी महाविद्यालय Website/Notice Boards को निरंतर देखें व अपने Mentors/ शिक्षकों के निरन्तर संपर्क में रहें।
8. विवरणिका में वर्णित Minor व Skill Development Courses परिवर्तनीय है। अतः निरंतर Website व सूचना पट्ट देखते रहें और अपने Mentor के सम्पर्क में रहें।

रसायन विज्ञान प्रयोगशाला

वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला

जंतु विज्ञान प्रयोगशाला

कैंप के दौरान एन. एस. एस. छात्र, छात्राऐं एवं शिक्षकगण

15 अगस्त के अवसर पर फ्लैग सैल्यूट करते एन. सी. सी. कैडेट्स

NCC Cadets in Camp

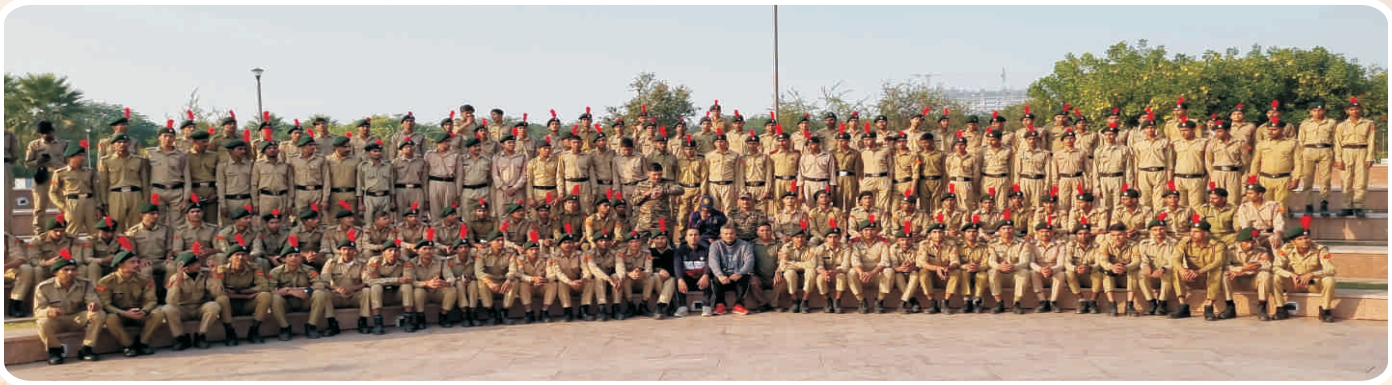

गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर

ECO CLUB

Physics Lab

महाविद्यालय परिवार

संपादक मंडल

Website : https://www.mbc.ac.in
E-mail : mbpgcollegedadri@gmail.com

हरित परिसर-स्वच्छ परिसर- प्लास्टिक एवं कचरा मुक्त परिसर

Rs. 250/-